रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

**सा.का.नि. 338(अ).**— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उपधारा (1क), उपधारा (3) और उपधारा (4) के साथ पठित उसकी धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घक), खंड (ङ) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषाएं** -- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

**3. महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी संख्या** -- महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी ।

**4. सेवा की शर्तें** -- (1) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा किसी अन्य प्रवर्ग के कर्मचारियों की छुट्टी, कार्यग्रहण समय, कार्यग्रहण समय वेतन, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के विषय में सेवा की शर्तें उन नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो समय-समय पर समान वेतनमान लेने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू हैं ।

(2) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी आयोग द्वारा पृथक् कार्यालय और आवासीय काम्पलैक्स का सन्निर्माण किए जाने तक साधारण पुल आवास के लिए पात्र होंगे ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हें साधारण पुल के अधीन निवास स्थान आबंटित किए गए हैं, सरकारी निवास स्थान की सुविधा को प्रतिधारित करने के लिए पात्र होंगे ।

(4) ऐसे महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें आवास आबंटित नहीं किया गया है, समान वेतनमान ले रहे केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को यथाअनुज्ञेय मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे ।

(5) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिसके अंतर्गत वे भी हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, आयोग में सेवा के दौरान अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होंगे ।

(6) (i) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी उन्हीं भविष्य निधि स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे, जो उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उन्हें लागू हैं ।

(ii) आयोग ऐसे महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से भविष्य निधि मद्दे अभिदाय की वसूली करेगा और उस राशि को तुरंत उपयुक्त मंत्रालय या विभाग या संगठन को संप्रेषित करेगा ।

(iii) विलंबित संप्रेषण के कारण ब्याज की किसी हानि को आयोग द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, उनसे भिन्न जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमे के हकदार होंगे :

परंतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की दशा में वे उन्हीं समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे, जो उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में उन्हें लागू हैं ।

(8)(i) आयोग ऐसे महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से बीमा स्कीमों मद्दे अभिदाय की वसूली करेगा और उस राशि को तुरंत उपयुक्त मंत्रालय या विभाग या संगठन को संप्रेषित करेगा ।

(ii) विलंबित संप्रेषण के कारण ब्याज की किसी हानि को आयोग द्वारा वहन किया जाएगा ।

(9) ऐसे महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

(10) ऐसे महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हों, के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें उनके मूल संगठन में उपलब्ध हैं ।

**5. शासकीय विदेश यात्रा** -- (1) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा शासकीय विदेश यात्राएं अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से की जाएंगी ।

(2) अपर सचिव और उच्च स्तर के अधिकारियों की विदेश यात्राएं समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी ।

(3) दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते विदेश मंत्रालय के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे ।

**6. प्रतिनियुक्ति भत्ता** -- प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन किए गए व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन के वेतनमान और अन्य सेवा फायदों का चयन करने या अपना वेतनमान प्रतिधारित करने और उस विषय पर भारत सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता लेने का विकल्प दिया जाएगा ।

**7. भर्ती के लिए प्रक्रिया** -- केंद्रीय सरकार महानिदेशक की भर्ती के लिए प्रक्रिया विनिश्चित करेगी और आयोग, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया विनिश्चित करेगा और ऐसी किसी प्रक्रिया के न होने पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

**8. अर्हता** -- महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ठ सामर्थ्य वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसे अन्वेषण का अनुभव तथा लेखाकर्म, प्रबंधन, कारबार, लोक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विधि या अर्थशास्त्र का ज्ञान हो ।

**9. अवशिष्ट उपबंध** -- महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित उन विषयों को, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा ।

**10. शिथिल करने की शक्ति** -- केंद्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

**अनुसूची 1**

**[नियम 3 देखिए]**

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के कार्यालय में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतनमान निम्नानुसार होंगे :—

| भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के कार्यालय में वृत्तिकों के पद | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतन बैंड | ग्रेड वेतन |
| 1. | महा निदेशक | 1 | 37,400-67,000/- रुपए | 10,000/- रुपए या 12,000/- रुपए |
| 2. | निदेशक | 4 | 37,400-67,000/- रुपए | 8,900/- रुपए |
| 3. | संयुक्त निदेशक | 8 | 37,400-67,000/- रुपए | 8,700/- रुपए |
| 4. | उप निदेशक | 20 | 15,600-39,100/- रुपए | 7,600/- रुपए |

| भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के कार्यालय में सहायक कर्मचारिवृंद | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतन बैंड | ग्रेड वेतन |
| 1. | उप निदेशक | 1 | 15,600-39,100/- रुपए | 7,600/- रुपए |
| 2. | सहायक निदेशक | 3 | 15,600-39,100/- रुपए | 6,600/- रुपए |
| 3. | कार्यालय प्रबंधक | 4 | 9,300-34,800/- रुपए | 5,400/- रुपए |

**टिप्पण** -- महानिदेशक के पद का वेतनमान 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000/- रुपए या 12,000/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000/- रुपए पर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए, नमनीय रखा जा सकेगा, जिससे पद के संबंध में उपयुक्त पदधारियों की नियुक्ति की जा सके ।

## अनुसूची 2

**[नियम 4 (3) देखिए]**

### चिकित्सा प्रसुविधाएं

**1. बाह्य चिकित्सा व्यय** -- (i) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अपने और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के लिए पात्र होंगे ।

**स्पष्टीकरण** -- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "कुटुंब" पद का वही अर्थ है जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में है ।

(ii) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता), इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी ।

(iii) दावे के समर्थन में डाक्टर की पर्ची और डाक्टर द्वारा उपचार और दवाईयों के क्रय के मूल नकद पत्र या बिल दिए जाने चाहिए और वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि का दिया जाना या प्रोन्नति, 1 जनवरी को यथाविद्यमान सीमा को प्रभावित नहीं करेगी ।

(iv) वर्ष के दौरान कार्यग्रहण करने वाले महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए वार्षिक हकदारी प्रति व्यक्ति के आधार पर निर्बंधित होगी ।

(v) बाह्य उपचार आयोग द्वारा रखे जाने वाले पैनल के प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों से कराया जाएगा ।

**2. अंतरंग उपचार** -- (i) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक तथा महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अंतरंग उपचार के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल स्थान सुविधा, नर्सिंग होम सुविधा, आदि सहित उपचार का खर्च, समतुल्य वेतन लेने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(ii) खंड (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वे होंगे, जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सराकर के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं ।

(iii) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपात के सिवाय, प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों की सलाह पर लिया जा सकेगा ।

[फा. सं. 5/25/2007-आई.जी.सी./सी.एस]

अविनाश के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2009

**G.S.R. 338(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Commission' means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(c) 'Director-General' means the Director-General appointed under sub-section (1) of section 16 of the Act;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

3. **Salary and allowances of the Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General and their number.** – The salary and allowances of the Director General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General and the number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General shall be as specified in Scheduled – I.

**4. Conditions of service**.- (1) The conditions of service of the Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General and any other category of employees in the matter of leave, joining time, joining time pay, age of superannuation, traveling allowance and leave travel concession shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.

(2) The Director General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director General and officers and other employees of the office of Director General shall be eligible for general pool accommodation till a separate office and residential complex for the Commission is constructed.

(3) The Director General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director General and officers and other employees of the office of Director General on deputation, who are Government employees and have been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation.

(4) The Director General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director General and officers and other employees of the office of Director General not allotted accommodation shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.

(5) The Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General including those on deputation while in service with the Commission shall be entitled to medical facilities as specified in Scheduled II.

(6) (i) The Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director General appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

(ii) The Commission shall recover contribution towards provident fund from such Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director General and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(iii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(7) The Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General appointed on deputation, shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

(8) (i) The Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(ii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(9) The Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.

(10) The Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefit if

**5. Official visits abroad.**- Official visits abroad by Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson or any other Member or officer of the Commission authorised by the Chairperson.

(2) Foreign visits of Additional Secretary and above level officers will be regulated as per guidelines or instructions issued by Central Government from time to time.

(3) Per Diem and other allowances will be admissible as per Ministry of External Affair's existing instructions.

**6. Deputation allowance.**- The persons selected on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the borrowing organisation or to retain their own pay scales and get deputation allowance, as per the existing instructions of the Government of India on the subject.

**7. Procedure for recruitment.**- The Central Government shall decide the procedure for recruitment of Director-General and the Commission shall decide the procedure for recruitment of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General with the approval of the Central Government and in the absence of any such procedure the recruitment shall be made as per the procedure specified by the Central Government.

**8. Qualification.**- The person to be appointed as Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees should be a person of integrity and outstanding ability and who have experience in investigation, and knowledge of accountancy, management, business, public administration, international trade, law or economics.

**9. *Residuary provision.*** – *Matters relating to the terms and conditions of service of the Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.*

**10. Powers to relax.**- The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

## Schedule I
**[see rule 3]**

The number of officers and other employees in the Director-General's office of the Competition Commission of India and their scales of pay shall be as under:

| Post of Professionals in the office of DG-CCI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SI. No. | Name of post | No. of posts | Pay band | Grade pay |
| 1. | Director General | 1 | Rs.37,400-67,000/- | Rs.10,000/- or Rs.12,000/- |
| 2. | Director | 4 | Rs.37,400-67,000/- | Rs.8,900/- |
| 3. | Joint Director | 8 | Rs.37,400-67,000/- | Rs.8,700/- |
| 4. | Deputy Director | 20 | Rs.15,600-39,100/- | Rs.7,600/- |

| Support Staff in the office of DG-CCI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SI. No. | Name of post | No. of posts | Pay band | Grade pay |
| 1. | Deputy Director | 1 | Rs.15,600-39,100/- | Rs.7,600/- |
| 2. | Assistant Director | 3 | Rs.15,600-39,100/- | Rs.6,600/- |
| 3. | Office Manager | 4 | Rs.9,300-34,800/- | Rs.5,400/- |

Note. – The pay scale of the post of Director General may be kept flexible at Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- or Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 12,000/- as may be decided by the Competent Authority, so that suitable incumbents may be appointed against this post.

## Schedule- II
[see rule 4(3)]

### MEDICAL FACILITIES

1 Outdoor Medical expenses. - (i) Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director General shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(ii) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.

1839 GI/09-3

(iii) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January.

(iv) For Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director General joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(v) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Commission.

2 Indoor treatment. – (i) For the purpose of indoor treatment the Director-General, Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Commission in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(ii) The authorised hospitals for the purpose of clause (i) shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

[F. No. 5/25/2007-IGC/CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.